संख्या- 18 /2024/71/चार-2024

प्रेषक ,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊ : दिनांक 05 जनवरी, 2024**

विषयः- जनपद अयोध्या में टेन्ट सिटी विकसित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ के पत्र संख्या-1732/संचालन-4/संस्कृति टेन्ट सिटी अयोध्या/2023, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार अयोध्या में कलाकारों के अवस्थापन हेतु टेन्ट सिटी विकसित किये जाने के कार्य हेतु सम्भावित व्यय रू0 100.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष सम्यक् विचारोपरान्त धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) समस्त वास्तविक बिल-वाउचर संस्कृति विभाग को उपलब्ध कराये जाने पर शेष धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(2) समस्त कार्यों का वास्तविक व्यय के आधार पर भौतिक सत्यापन, पुष्टि तथा समस्त बिल-वाउचरों की जांच करने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) निदेशक, संस्कृति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) उक्त व्यय, धनराशि की उपलब्धता की सीमा तक ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा आहरित कर उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत 'लेखाशीर्षक -2205-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-21-रामोत्सव अयोध्या 2023-24-42- अन्य व्यय' मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 18 /2024/71(1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, अयोध्या।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।